भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 590

जिसका उत्तर 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

25 भाद्रपद, 1942 (शक)

सोशल मीडिया पर डाटा की निष्पक्ष प्रस्तुति

590. श्री निशीथ प्रामाणिक :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेसबुक, गूगल जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों और इसी तरह की बहुराष्टीय कॉरपोरेट कंपनियों ने सरकार को अपनी साइटों पर जानकारी की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने का आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन कॉरपोरेट्स को देश के लोगों, विशेष रूप से जो इन साइटों पर राष्ट्रवाद और देशभक्ति के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(ग):** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के संदर्भ में मध्यस्थ हैं। देयता से छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ उचित सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे सूचना के प्रसारण का चयन या उसे संशोधित नहीं करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 में निर्दिष्ट उचित सावधानियों का पालन करें। इसमें उनके प्लेटफ़ॉर्म और गोपनीयता नीति के नियमों और शर्तों का प्रकाशन शामिल है। उनसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित किसी भी गैरकानूनी सामग्री को हटाने की भी अपेक्षा की जाती है, जब या तो उन्हें अदालत के आदेश के माध्यम से या उचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से यह बात उनके संज्ञान में लायी जाती है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने पहले ही फेसबुक को इन नीतियों की निष्पक्षता बनाए रखने और अनुपालन की आवश्यकता से अवगत कराया है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अलग से कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

****